मि.स. रा.पि.व.आ./06/06/828/2021- सी.पी.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. योगेश राजभर द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष कार्यालय, प्रथम तल, त्रिकूट 1-, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066- में दिनाँक 10.09.2021 अपराह्न् 03:00 बजे प्रथम सुनवाई **(बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है)** एवं दिनाँक 15.09.2021 अपराह्न् 03:00 बजे द्वितीय सुनवाई **(बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है)** की तिथि नियत की।

प्रथम सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के मुख्य बिन्दुओं का विवरण:

1. श्री योगेश प्रसाद राजभर ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि विश्वविधालय द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं उनका वेतन भी आधा कर दिया गया है।
2. श्री बी. आर सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 05.02.2021 को डॉ. योगेश प्रसाद को राजभवन उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रदेश स्तरीय शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु दिनांक 23.01.2021 का पत्र माननीय कुलपति जी को दिनांक 05.02.2021 को भेजा गया था, जिसमे ईमेल पर 05.02.2021 की तिथि है। डॉ. योगेश प्रसाद को माननीय कुलपति जी को यह जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी। इसके पश्चात् माननीय कुलपति जी ने वह पत्र डीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को मार्क कर दिया था। साथ ही माननीय आयोग को यह भी अवगत कराया गया कि सस्पेंशन के बाद नियमानुसार आधा ही दिया जाता है।

3. माननीय आयोग द्वारा श्री बी. आर सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न किया गया कि माननीय कुलपति जी द्वारा वह पत्र डीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को मार्क कर दिए जाने के पश्चात् डीन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? संबंधित फाइल की मूल प्रति माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

प्रथम सुनवाई के पश्चात् आयोग का निर्णय :

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् माननीय आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर शपथ पत्र पर अगली सुनवाई के दौरान माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाये की।

4. माननीय कुलपति जी द्वारा पत्र डीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को मार्क कर दिए जाने के पश्चात् डीन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? संबंधित फाइल की मूल प्रति माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

क. वर्ष 1993, वर्ष 1997, वर्ष 2005, वर्ष 2018, वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 का शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक मूल रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

ख. सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विज्ञापित अंतिम विज्ञापन की सत्यापित प्रति एवं उसका मूल रिजर्वेशन रोस्टर माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

ग. अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारिओं का अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

द्वितीय सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के मुख्य बिन्दुओं का विवरण:

प्रथम सुनवाई में माननीय आयोग द्वारा दिए गये निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का आरक्षण रोस्टर रजिस्टर माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरक्षण रोस्टर रजिस्टर की जांच के दौरान माननीय आयोग ने पाया कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर नियमानुसार सही नहीं है अत: समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् माननीय आयोग द्वारा कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की व्यक्तिगत उपस्तिथि सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अगली सुनवाई हेतु बुलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक:
स्थान: नई दिल्ली

27/9/21

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

मि.स. रा.पि.व.आ./06/06/828/2021- सी.पी.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक 'क'

प्रथम सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार
3. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण:

1. श्री बी. आर सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
2. डॉ. एल.के. गंगोत्रा, निदेशक (प्रशा.), सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
3. श्री सत्य प्रकाश, अधिवक्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी

उपस्थित शिकायतकर्ता:

1. श्री योगेश प्रसाद राजभर
2. श्री पी. राजभर, अधिवक्ता शिकायतकर्ता की ओर से

मि.स. रा.पि.व.आ./06/06/828/2021- सी.पी.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक 'ख'

द्वितीय सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार
3. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण:

4. श्री बी. आर सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
1. डॉ. एल.के. गंगोत्रा, निदेशक (प्रशा.), सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
2. श्री सत्य प्रकाश, अधिवक्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी

उपस्थित शिकायतकर्ता:

1. श्री योगेश प्रसाद राजभर